साहेबगंज समाहरणालय
जिला भू-अर्जन शाखा, साहेबगंज
समाहर्त्ता या समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना
(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

संख्या–डी0एल0ए0 साहेबगंज 01 /17–18/ ________ /भू0अ0, दिनांक–

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–पलटनगंज, थाना–तालझारी, थाना सं0–01, अंचल–तालझारी, जिला–साहेबगंज में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (बन्दरगाह निर्माण) के द्वितीय चरण अन्तर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अपेक्षित है। **SHIKHA EVAM KALNYAN SAMITI, BARHARWA DIST- SAHIBGANJ** के द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम–पलटनगंज, थाना–तालझारी, थाना सं0–01, अंचल–तालझारी, में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 15.81 एकड़ यानि .... हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

<table>
<tr><th rowspan="2">क्रम सं0</th><th rowspan="2">खाता सं0</th><th rowspan="2">सर्वे भूखंड सं0</th><th rowspan="2">स्वामित्व का प्रकार</th><th rowspan="2">भूमि का प्रकार</th><th rowspan="2">अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)</th><th rowspan="2">हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता</th><th colspan="4">सीमा (भूखंड सं0)</th></tr>
<tr><th>उ0</th><th>द0</th><th>पू0</th><th>प0</th></tr>
<tr><td>01</td><td>01</td><td>03
04
29
33</td><td>रैयती</td><td>बाड़ी–1
धानी–2
धानी–1
धानी–2</td><td>00.41
01.24
00.93
00.20</td><td>1. वेदानन्द मंडल वगैरह पिता–सीताराम मंडल,
2. राजेश मंडल वगैरह पिता–स्व0 लक्ष्मण मंडल
3. आयुष रंजन मंडल पिता–स्व0 अर्जुन मंडल</td><td rowspan="4">रास्ता, दाग नं0–32 37, 36 अंश 45 अंश 49 अंश 46 अंश 47 अंश</td><td rowspan="4">दाग नं0–5 अंश, नाला, 7, 29 अंश, 35, 58, 59, 79 एवं 54 अंश</td><td rowspan="4">सीमाना</td><td rowspan="4">नाला</td></tr>
<tr><td>02</td><td>02</td><td>05</td><td>रैयती</td><td>बाड़ी–1</td><td>01.78</td><td>1. सुरेश लाल पिता–स्व0 अमीरचंद लाल
2. गणेश लाल वगैरह पिता–स्व0 राम नरेश लाल</td></tr>
<tr><td>03</td><td>03</td><td>51</td><td>रैयती</td><td>धानी–2</td><td>01.34</td><td>1. पुनिया कुमारी
2. घाघू उराँव वगैरह पिता–स्व0 किशन उराँव</td></tr>
<tr><td>04</td><td>13</td><td>46
47
57
34
36</td><td>रैयती</td><td>धानी–2
बाड़ी–1
धानी–1
धानी–1
धानी–2</td><td>00.13
00.24
01.00
01.58
01.65</td><td>1. हबीब चौधरी वगैरह, पिता–स्व0 मुराधन चौधरी
2. मो0 आवुल पिता–स्व0 लियाकत चौधरी
3. डोमन मियाँ वगैरह, पिता–स्व0 हसानी चौधरी
4. मो0 रियासत</td></tr>
</table>

						पिता–स्व0 अजामत 5. मो0 रिजुल पिता–मो0 नजीमुद्दीन				
05	6	45	रैयती	धानी–2	00.10	तिलक मुसहर वल्द मधके मुसहर				
06	15	50 54	रैयती		00.30 00.40	1. मिथिलेश प्रसाद वगैरह पिता–स्व0 कालिका प्रसाद				
07	10	52 53 55 56	रैयती	धानी–2 धानी–2 धानी–1 धानी–1	01.22 00.64 00.47 00.79	1. विजय सिंह, पिता–स्व0 रमेश चन्द्र मंडल 2. अजय मंडल वगैरह पिता–स्व0 जगदीश मंडल 3. शंकर मंडल वगैरह, पिता–स्व0 विरेन महलदार 4. विश्वनाथ महलदार वगैरह, पिता–स्व0 हिरण महलदार				
08	5	30 31	रैयती	धानी–2 धानी–3	01.12 00.27	1. कोको मियां, पिता–मधु चौधरी वगैरह 2. मो0 मुबारक पिता–अकबर अली वगैरह 3. दुराय वगैरह, पिता–स्व0 मो0 कादीर 4. मो0 भीखन मियां वगैरह, पिता–स्व0 मो0 अलामत मियां				
				कुल रकवा	15.81					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या–30/2013), की धारा–11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता –सह– समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यो के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यो के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज और उनके कर्मचारियों ..... को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण

यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अन्तर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

ह०
उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक ..../भू0अ0, साहेबगंज, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, साहेबगंज को अगले अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचना के पीछे उपर्युक्त ज्ञापांक का प्रकाशन जिला गजट में अधिसूचना के साथ करना आवश्यक है।

प्रतिलिपि :– निदेशक, भू–अर्जन झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०
उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक 383 /भू0अ0, साहेबगंज, दिनांक 14.7.17

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं दो दैनिक समाचार पत्रों में नियमानुसार प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशन की सूचना सीधे जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज को भेजने की कृपा की जाय।

[signature] 13/7/17
उपायुक्त,
साहेबगंज।